E Governance.

प्रेषक, संख्या : 1323/65-2-99-200/99

सचिव,
विकलांग कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

विकलांग कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 13 अगस्त, 1999

विषय : **सत्ता के विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत पंचायतों को निराश्रित विकलांग व्यक्तियों को भरण-पोषण हेतु अनुदान तथा विकलांग छात्रवृत्ति के भुगतान के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पूर्व में जारी शासनादेश संख्या 1241/65-2-99-200/99, दिनांक-15 जुलाई, 1999 का संदर्भ लें जिसके द्वारा यह अपेक्षा की गयी थी कि निराश्रित विकलांग व्यक्तियों के भरण-पोषण हेतु अनुदान तथा विकलांग छात्रवृत्ति का वितरण ग्राम-पंचायत की खुली बैठक में किया जायेगा। इसके लिए आवश्यक है कि इसके लाभार्थियों की सूची ग्राम-पंचायतों को उपलब्ध करा दी जाय। आशा है कि अब तक यह सूची सम्बन्धित ग्राम-पंचायतों को उपलब्ध करा दी गई होगी, जहां अभी उपलब्ध न कराई गयी हो, वहां तत्काल उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाय।

2- उपरोक्त के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ग्राम-पंचायतों द्वारा ग्राम के सभी परिवारों का आर्थिक रजिस्टर सही कर उसे पूर्ण किया जाए तथा उक्त रजिस्टर में वर्तमान में पेंशन पा रहे लाभार्थियों तथा भविष्य के लिए चयनित लाभार्थियों का अंकन कर लिया जाए।

3- शासन द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार वर्तमान में विकलांग पेंशन के लाभार्थियों को एकाउण्ट-पेई चेक ग्राम-पंचायतों के माध्यम से वितरित की जाएगी, जिसके तारतम्य में अपेक्षित होगा कि ग्राम-पंचायतवार लाभार्थियों की चेकें तैयार कराकर उन्हें संबंधित क्षेत्र विकास समिति कार्यालय के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराई जाय एवं वह उसे संबंधित ग्राम-पंचायत के ग्राम-पंचायत विकास अधिकारी को प्रेषित करायेंगे। तत्पश्चात् ग्राम-पंचायत की खुली बैठक में लाभार्थियों को चेक वितरण करने के उपरांत संबंधित लाभार्थियों से चेक प्राप्त किये जाने संबंधी रसीदें ग्राम-पंचायत विकास अधिकारी द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराई जायेगी। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से उक्त सभी प्राप्ति रसीदें जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को प्राप्त कराई जायेंगी ताकि वितरण का लेखा-जोखा सही ढंग से रखा जा सके।

4- पेंशन के नये मामलों के लिए ग्राम-पंचायतों द्वारा पात्र व्यक्तियों की सूची ग्राम सभा द्वारा खुली बैठक में तैयार की जायेगी। यह सूची शासन द्वारा विकलांग पेंशन के लिए निर्धारित मापदण्ड के आधार पर प्राथमिकता क्रम में तैयार की जायेगी। विकलांग पेंशन के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता

होगी। इसके लिए ग्राम-पंचायत विकास अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह निकटस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक से विकलांगता की जांच कराकर वांछित प्रमाण-पत्र दिलवाये।

5- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा जो प्रमाण-पत्र दिया जायेगा, वह विकलांगता पेंशन एवं छात्रवृत्ति के सीमित प्रयोजन हेतु ही मान्य होगा तथा उसकी अनुमन्यता राज्याधीन सेवाओं में विकलांगता के आधार पर आरक्षण के लिए नहीं होगी। राज्याधीन सेवाओं में विकलांगता के आधार पर इच्छुक व्यक्तियों को विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत औपचारिकताएं पूर्ण कराकर विकलांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6- छात्रवृत्ति वितरण के कार्य में अपेक्षित पारदर्शिता लाने तथा फर्जी वितरण को समाप्त करने की दिशा में यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम-पंचायत में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मान्यता प्राप्त अशासकीय प्राथमिक विद्यालय तथा मान्यता प्राप्त अशासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विकलांग छात्र/छात्राओं तथा विकलांग अभिभावकों के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति के चेक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित प्रधानाध्यापक को न देकर छात्रवृत्ति हेतु अर्ह छात्र/छात्राओं की सूची के साथ संबंधित ग्राम-पंचायतों को दिये जायें जो ग्राम निधि में छात्रवृत्ति के शीर्षक से जमा होगी। ग्राम-पंचायत की शिक्षा समिति अपनी बैठक में उसके द्वारा की गयी जांच के पश्चात् पात्र छात्र/छात्राओं को शासन द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर छात्रवृत्ति का वितरण करेगी। कक्षा-8 से उच्चतर कक्षाओं की तथा नगरीय क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में छात्रवृत्ति के वितरण की व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक पूर्व प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार ही होगी।

7- ग्राम-पंचायत की शिक्षा समिति विद्यालयों की सूची और छात्र/छात्राओं की संख्या की पात्रता के संबंध में जांच करेगी। यदि जांच में यह पाया जाता है कि प्रस्तावित छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति का वितरण नहीं किया जायेगा। प्रत्येक दशा में केवल पात्र छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति का वितरण किया जायेगा। ग्राम-पंचायत को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी दशा में छात्रवृत्ति या पेंशन की धनराशि का उपयोग या व्यावर्तन निर्दिष्ट प्रयोजन से हटकर नहीं किया जायेगा। यदि किसी ग्राम-पंचायत द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा एवं तदनुसार संयुक्त प्रान्त राज अधिनियम, 1947 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

8- मैदानी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों को पेंशन की धनराशि चेक द्वारा वितरित की जायेगी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में पूर्व की भांति इसे मनीआर्डर के जरिए नकद भेजी जायेगी। इसी प्रकार ग्राम-पंचायत में स्थित उपरोक्त विद्यालयों के छात्र/छात्राओं एवं विकलांग अभिभावकों के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की धनराशि ग्राम-पंचायत की खुली बैठक में नकद वितरित की जायेगी तथा इसकी प्राप्ति स्वीकार कराते हुए उपयुक्त लेखा जोखा रखा जायेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में छात्रवृत्ति तथा पेंशन की नकद वितरित धनराशि का प्रत्येक त्रैमास में 30 प्रतिशत की सीमा तक सत्यापन किया जायेगा। इस संबंध में उत्तरांचल विकास विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

9- ग्राम-पंचायत की शिक्षा समिति की बैठक में विकलांग छात्रवृत्ति वितरण संबंधी कार्य का सत्यापन उप प्रधान/ग्राम-पंचायत विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा और इसे ग्राम-पंचायत के प्रधान प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे तथा उपयोग प्रमाण-पत्र के सत्यापन के साथ छात्रवृत्ति की प्राप्ति की स्वीकृति की सूचना जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को क्षेत्र विकास समिति कार्यालय के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

10- ग्राम प्रधान एवं ग्राम-पंचायत विकास अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि विकलांग छात्रवृत्ति/भरण-पोषण अनुदान एवं छात्रवृत्ति की धनराशि अवितरित रह जाने की स्थिति में शेष धनराशि को चेक द्वारा जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को सहायक विकास अधिकारी के जरिये बिना किसी विलम्ब के उसी वित्तीय वर्ष में ही वापस कर दी जाये।

उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा इस शासनादेश द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था यदि पूर्व निर्गत किसी शासनादेश से भिन्न हो तो पूर्व निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,
हरीश चन्द्र
सचिव

संख्या-1323(1)/65-2-99, तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- प्रमुख सचिव, उत्तरांचल विकास विभाग।
2- सचिव, मुख्यमंत्री जी।
3- सचिव, पंचायती राज विभाग।
4- समाज कल्याण आयुक्त।
5- कृषि उत्पादन आयुक्त के निजी सचिव।
6- मुख्य सचिव के निजी सचिव।

आज्ञा से,
हरीश चन्द्र
सचिव

संख्या-1323(2)/65-2-99, तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रति निम्न को अनुपालनार्थ प्रेषित :-

1- निदेशक, विकलांग कल्याण को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे इस संबंध में अपने स्तर से अनुश्रवण करने के बाद अनुपालन की सूचना संकलित कर शासन को 31 अगस्त, 1999 तक प्रेषित करने का कष्ट करें।
2- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, विकलांग कल्याण, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
भुइयाँदीन
विशेष सचिव